

फैक्ट्री में श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री बनाई तो कर सकेंगे अधिक निर्माण

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार नया बिल्डिंग बायलॉज लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 4 एकड़ से अधिक एरिया में फैली इंडस्ट्री को फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री बनाने का प्रावधान किया गया है। अगर इंडस्ट्री श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री बनाती है तो कंपनी को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) में 40 से 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यानि निवेशक अधिक एरिया में निर्माण कार्य करवा सकेगा। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

इंडस्ट्री को फ्लोर एरिया रेशियो में मिलेगी 40-50% तक की छूट



इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू किया जाएगा।

दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों को मिलेगी राहत: इस फैसले के लागू होने से औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के आवास की समस्या का स्थायी

समाधान निकल सकेगा। इन्वेस्ट यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें कार्यस्थल के आसपास रहने के लिए पर्याप्त और सस्ती आवासीय सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। नई नीति का उद्देश्य श्रमिकों को कार्यस्थल के पास सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास उपलब्ध करवाना है। महिला श्रमिकों के लिए अलग-अलग डॉरमेट्री का भी प्रावधान किया गया है। डॉरमेट्री में पेयजल, शौचालय, स्नानघर, बिजली, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी निवेशक के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।